राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(02) राज/वाद/19 जयपुर दिनांकः 30-4-19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

::परिपत्र::

इस विभाग के ध्यान में आया है कि राजकीय अधिवक्तागण (गवर्नमेंट कौंसिलगण) के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा दिनांक 02.04.19 को जारी परिपत्र में बिन्दु संख्या–11 पर उल्लेखित दिशा–निर्देशों की विभागों द्वारा पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः समस्त विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि "यदि कोई विभाग एक से अधिक अधिवक्ताओं को आवंटित है तो विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिवक्ताओं को वर्तमान में लम्बित एवं नवीन दायर होने वाले प्रकरणों का आवंटन सम–विषम (Even-Odd) के क्रम में किया जायेगा। साथ ही बंच केस (Bunch Case) होने की स्थिति में यदि प्रकरण सम (Even) पर आता है तो सभी केसेज सम (Even) क्रम पर आने वाले अधिवक्ता को तथा विषम (Odd) पर आने की स्थिति में विषम क्रम के अधिवक्ता को आवंटित किये जायेगें। इस सम्बन्ध में विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि प्रकरणों का आवंटन यथा सम्भव आनुपातिक रूप से किया जाये, किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में विभाग विधि विभाग से परामर्श करेंगे।

अतः समस्त विभागों से अपेक्षा की जाती है कि इस विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 02.04.19 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विभागाध्यक्ष।
4. राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त गवर्नमेंट कौंसिल / एडि0 गवर्नमेंट कौंसिल / डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल / अस्टिेन्ट गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर / जोधपुर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव,विधि